

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

POWER CORPORATION LIMITED

Gvt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या: 2889-अ0प्र0-07 / पा0का0लि0 / 2009-26-अ0प्र0-07 / 07

दिनांक: 21.12.2009

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40 प्रतिशत प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अधोनामित अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए आर/राविपि-01-एआर/89 दिनांक: 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले लगभग छः (6) सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे:-

क्रम सं०	अवर अभियन्ता का नाम एवं पिता का नाम/गृह जानपद/जन्मतिथि/ब्रांच/वरिष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती स्थल	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के उपरान्त नव तैनाती स्थल/कार्यालय	अभिज्ञान संख्या
1.	श्री भगवान राम पुत्र श्री राज देव राम/बलिया/01.01.54/वि0/4884	वि0वि0खण्ड-III, गाजीपुर।	वाराणसी डिस्कॉम	2009177

- उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश याचिका सं०: 34006/1995-गैर अनुसूचित जाति/जनजाति अधिकारी कल्याण परिषद एवं अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होंगे।
- उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश याचिका संख्या 3902/1995 पुष्पेन्द्र अग्रवाल व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन होंगे।
- सक्षम अधिकारी, तैनाती करते समय स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 2.01 के अनुसार गृह जनपद, तथा एक क्षेत्र में अधिकतम कमशः छः वर्ष तथा दस वर्ष के प्रतिबन्ध के अधीन तैनाती किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- उपर्युक्त प्रोन्नत सहायक अभियन्ता को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि यथा 30.01.2010 तक कार्यभार ग्रहण कार्य करना अनिवार्य है, तत्पश्चात उपरोक्त प्रोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

36

को. निदेशक

अधीन

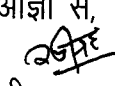
संख्या: 2889(1)-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु अवमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि:-

- (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
(ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही, सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, डी0एल0डब्लू, वाराणसी।
5. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, उ0प्र0पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का लगभग 06 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, विस्तार लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (वितरण), वाराणसी क्षेत्र, उ0प्र0पा0का0लि0, भिखारीपुर कालोनी, डी0एल0डब्ल्यू0, वाराणसी।
8. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, उ0प्र0पा0का0लि0, वाराणसी।
9. अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-III, उ0प्र0पा0का0लि0, गाजीपुर।
10. उपसचिव, अ0प्र0-03 उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
12. अनुभाग अधिकारी, अ0प्र0-03/गोपान अनुभाग, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. सम्बन्धित अधिकारीगण।
14. गार्ड फाइल/कट फाइल।



आज्ञा से,

(बी0पी0एस0राठौर)
उपसचिव
